

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 79/आवंटन/

पटना, दिनांक 4.1.19

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 30/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक निदेशक (तक०),
तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

विषय :-

मुख्यशीर्ष-4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-102-लघु उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0102-टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर, विपत्र कोड-23-4851001020102, विषय शीर्ष 0102.53.01-मुख्य निर्माण कार्य मद से वित्तीय वर्ष 2018-19 की योजना के अन्तर्गत टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर, पटना के परिसर में मोडूलर शेड के निर्माण हेतु रू० 1,00,00,000/- (एक करोड़) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक 29 दि० 03.01.2019 के आलोक में विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर, पटना में मोडूलर शेड के निर्माण हेतु रू० 1,00,00,000/- (एक करोड़) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना आय-व्ययक शीर्ष 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-102-लघु उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0102-टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर, विपत्र कोड-23-4851001020102, विषय शीर्ष 0102.53.01-मुख्य निर्माण कार्य मद से विकलित होगा।

3 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 एवं समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

5 राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

6 व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

7 उक्त आवंटित राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

8 आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक 29 दिनांक 03.01.2019 में निहित निर्देश के अनुरूप किया जाए।

विश्वासभाजन

4.1.19

उद्योग निदेशक

बिहार, पटना।

कृ० पृ० उ०

ज्ञापांक 79/आवलन,

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पटना, दिनांक 4.1.19

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 79/आवलन,

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित। पटना, दिनांक 4.1.19

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।